


8/10/24- व कुलाय उपस्थित। वकील पक्षकारान की
 लक्ष्य दुन्नी गई। लक्ष्य पर मन्व किया गया। पत्रावली
 में उपलब्ध राजस्व ईकड का मन्व किया गया। समस्त
 विवेचन से पाया गया की विवादित आराजी पुँ तक भूमि
 है तथा मयुं रवतैदारी की भूमि है। जब तक लखडा
 नही है जब तक वादीग्रह आराजी की यथास्थिति लखाई
 रखनी आवश्यक है। अतः प्रा पत्र के नीचे प्रथम दृष्टया
 सुविधा संतुलन व अशुणिकीय सुविधा प्राणी के पक्ष में
 प्रति होने से प्राणी का प्रा पत्र 212 प्रिक्ट का स्वीकार
 किया जाता है। पूर्व आदेश दिनांक 6/7/21 को नार्फैसल
 वाद के प्रस्ता किया जाता है पत्रावली फैसल सुमा
 होकर बाद जाता कार्थतादी के लगे से काम होकर
 वारितल वफत है।


 सुखण्ड अधिकारी रियां
 जिला-नागौर